I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/04/2024 21:32 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 16/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/04/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 7 **Time From (समय से):** 18:00 hrs **Time To (समय तक):** 18:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/04/2024 **Time (समय):** 18:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 020 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/04/2024 21:47 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 130 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ नारनौल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ISHWER SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/04/1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416381286

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नत्थुराम		Father's Name: हेमराज	1. निवासी बसीपुर जि0 महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	संदीप यादव ठेकेदार		Father's Name: सत्यवान यादव	1. बोचडिया त0 अटेली म0गढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	लखपत		Father's Name: राम अवतार	1. खातोली अहीर जि0 महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
4	जितेन्द्र		Father's Name: जोर सिह	1. वासी जोधी जि0 झज्जर, JHAJJAR,HARYANA,INDIA
5	सुनील कुमार		Father's Name: सतबीर	1. वासी जहांगीरपुर जिला झज्जर, JHAJJAR,HARYANA,INDIA
6	कपुर सिह		Father's Name: रामेशवर दास	1. वासी जगान त0 व जि0 हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA

7	जितेन्द्र सिह		Father's Name: राज सिह	1. वार्ड न0 9,1643 शिव कालोनी जि0 सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA
8	अमित कादयान		Father's Name: रणबीर सिह	1. म0न0 527 वार्ड न0 13 पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
9	राम फल		Father's Name: राम निवास	1. 77,गांव गोलवा निजामपुर महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
10	राजवीर यादव		Father's Name: घीसाराम	1. वार्ड न0 8,ढाणी अहिराण दादा फतेहपुर,खेतडी JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
11	विरेन्द्र सिह		Father's Name: जगपाल सिह	1. गांव मानका त0 मुन्डावर अलवर, ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
12	राजेन्द्र प्रसाद तत्कालीन खनन अधिकारी NNL		Father's Name: गजराज सिह	1. निवासी खोडमा महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
13	सजय सिम्बरवाल तत्कालीन सहायक खनन अभियन्ता		Father's Name: जयकरण	1. ई 6/19 GF,DLF VALLY,पिन्जोर जि0 पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
14	नरेन्द्र कुमार तत्कालीन लिपिक		Father's Name: परशुराम	1. गांव मान्दी जि0 महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
15	चन्द्रशेखर तत्कालीन लिपिक		Father's Name: हीरा लाल	1. गांव हसनपुर त0 होडल पलवल, PALWAL,HARYANA,INDIA
16	ममता खनन रक्षक		Father's Name: प्रताप सिह	1. मोहल्ला नलापुर नारनौल म0गढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
17	अजीत कुमार डाटा एन्टरी OPP.			1. नारनौल महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर ,थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिये तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 29.06.2021 नारनौल, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौक्सी विभाग के यादि क्रमांक 32/5/2021-4(1) दिनांक 25.06.2021 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमाक 9793/-2 SVB(H) दिनांक 29.06.2021 के अनुसार दर्ज की जाकर पडताल हेतु, गुरूग्राम मण्डल में प्राप्त हुई थी । जिसमें मन निरीक्षक द्वारा निम्नलिखित आरोप की पडताल की गई :-

The National Green tribunal Principal Bench, New Delhi द्वारा (M.A No.16/2020 Filed By the State of Haryana for modification of order of this tribunal dated 5-04-2019 read with order dated 26-07-2019 laying down terms on which vehicles or other equipment involved in illegal mining may be released) में सुनवाई उपरान्त दिनांक 05.04.2019 व 26.07.2019 के आदेशो को संशोधित(Modify) करते हुए दिनांक 19.02.2020 को अवैध माईनिग में जब्त किए गए वाहनो व दुसरे उपकरणों को जुर्माना भुगतने उपरान्त जब्त वाहनों को छोडने बारे आदेश पारित किए थे जो माननीय ट्रिब्युनल द्वारा पारित किये गये आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना व वाहनो की श्रेणी अनुसार (1) Vehicles/Equipments/Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and less then 5 Years old. Penalty Amount RS 4 Lacs, (2) Vehicles/Equipments/Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and more than 5 years but less then 10 Years old. Penalty Amount Rs 3 Lacs, (3) For the remaining Vehicles older then 10 Years/Equipment/Excavators which are otherwise legally permissible to be operated and not covered by Serial N0. 1 and 2. Penalty Amount Rs 2 Lacs, रूपये भरवाया जाना था।

खनन विभाग नारनौल के अधिकारीयो/कर्मचारियां ने वाहन मालिको से मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर तथा जुर्माना भुगतने की फाईल के साथ सलंग्न करके वाहनो की श्रेणी (category) बदल कर अवैध माईनिग में जब्त किए गए वाहन न0 HR47D-7410 माडल वर्ष 2017, HR47C-7924 माडल वर्ष 2016, HR66A-5228 माडल वर्ष 2014, HR38V-8553 माडल वर्ष 2016, HR61C-9953 माडल वर्ष 2017, HR69C-4111 माडल वर्ष 2018, HR66A-5228, HR63D-0780 माडल वर्ष 2017, HR63D-9224 माडल वर्ष 2018, RJ02GB-3456 माडल वर्ष 2016, HR63D-1504 माडल वर्ष 2017, HR63D-0951 माडल वर्ष 2019, HR63E-1504 माडल वर्ष 2020, HR63D-6223 माडल वर्ष 2017, HR63D-9807 माडल वर्ष 2018, HR55P-3120 माडल वर्ष 2011 व HR69B-8927 माडल वर्ष 2013 के फर्जी Invoice व झूठे शपथ पत्र देकर काफी कम जुर्माना करके माननीय National Green tribunal Principal Bench, New Delhi के आदेशो की उल्लघंना करके छोडा गया है तथा सरकार को लाखो रूपयो की वितीय हानि पहुचाना ज्ञात हुआ है ।

उपरोक्त वाहनो के अलावा और भी ऐसे काफी जब्त वाहन है जिनको भी इसी प्रकार से छोडा गया है तथा माननीय National Green tribunal Principal Bench , New Delhi द्वारा यह भी आदेश पारित किए गए है कि अगर कोई वाहन अवैध माईनिग में दौबारा जब्त किया जाता है तो उसका जुर्माना शोरूम की कीमत का 50 प्रतिशत राशी अदा करने पर छोडा जाएगा । जो वाहन न0 RJ18GB-1867 को दौबारा जब्त होने पर कम जुर्माना करके छोडा गया है । यह भ्रष्टाचार का खेल फरवरी 2020 से सितम्बर 2020 तक होना ज्ञात हुआ है । इस दौरान राजेन्द्र प्रसाद माईनिग अफसर व श्री संजय सिम्ब्रवाल माईनिग अफसर, नरेन्द्र कुमार लिपिक निवासी मान्दी व चन्द्र शेखर लिपिक माईनिग कार्यालय नारनौल मे नियुक्त रहे है। जो उपरोक्त सभी माईनिग विभाग के

अधिकारीयो/कर्मचारीयो ने वाहन मालिको से मिली भगत करके वाहनो के फर्जी Invoice तैयार करवाकर दस्तावेजो की बिना तसदीक किए तथा वाहनो की श्रेणी (category) बदल कर जब्त किए गए वाहनो को कम जुर्माना लेकर सरकार को लाखो रूपयो की वितीय हानि पहुचाई है ।

जांच की पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनों व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि खान एंव भूविज्ञान विभाग नारनौल ने दिनांक 01.01.2020 से 30.09.2020 तक अवैध माईनिंग में शामिल कुल 292 वाहनों को जब्त किया था जिनमें से 214 वाहनों को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा दिये गये पर्यावरण क्षतिपूर्ति आदेशानुसार ठीक जुर्माना भुगतान करने उपरान्त छोडना पाया गया है । इस दौरान जब्त किये गये वाहनों में से 25 वाहन ऐसे है जिनका वाहन मालिकों द्वारा समय पर चालान नहीं भरे जाने पर खनन विभाग नारनौल द्वारा वाहन न0 HR-45/TEM/2019/8899, HR-47-B-4274, Tractor Chassis No. W2CF61942895502, RJ-07-GA-9943, HR-63-C-3198, HR-66-B-7860, Tractor WZCD61923953104, HR-63-D-9104, Tractor Engine No. E103442022, HR-66-A-3546, HR-66-A-4311, HR-34-H-0217, Tractor Engine No. 3102DOG014035, HR-63-C-9704, HR-61-D-3450, HR-69-C-2419, Tractor Engine No. NKEZMPJ0163, HR-38-Z-8752, HR-66-A-5612, RJ-02-GB-3456, HR-63-D-8934, RJ-32-GB-5261, JCB Engine No. AE4286K3AE3452767, Tractor Engine No. SZG11637 व HR-61-B-1163 के विरूद्ध जिला महेन्द्रगढ के अलग-2 थानों म अवैध खनन में संलिप्त पाये जाने पर अभियोग अंकित करवाये जाने पाये गये है

पडताल के दौरान जब्त किये गये 292 वाहनो में से कुल 42 वाहनों के मालिकों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि कम भरने के लिये फर्जी इन्वाईस तैयार करवाकर झूठा शपथ पत्र व फर्जी दस्तावेज उपयोग में लाकर कम चालान राशि का भुगतान करने पर उनके विरूद्ध थाना शहर नारनौल में श्री अनिल कुमार, खनन अधिकारी, नारनौल द्वारा कुल 42 वाहन मालिको के खिलाफ 8 अभियोग अंकित करवाये जाने पाये गए है, जिनका चालान तैयार करके माननीय न्यायलाय में दिया जा चुका है ।

इस दौरान जब्त किये गये 292 वाहनों में से 11 वाहनों के मालिकों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके (1) वाहन नं0 HR-66A-7468 के मालिक नत्थुराम पुत्र हेमराज निवासी बसीरपुर जिला महेन्द्रगढ के ट्रक के फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 28,00,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था । वाहन मालिक ने रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टाटा मोटर्स की टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 21,35,363 रूपये दर्शाई हुई है व वाहन का बीमा इफ्को टोक्यो जनरल ईन्श्योरैन्स कं0 लि0 द्वारा किया हुआ है, वाहन की कीमत 24,15,630 दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय नारनौल से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 28,00,000 रूपये व वाहन की RC में कोटक महिन्द्रा लि0 से लोन पर होनी दर्शाई हुई है जबकि वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में HDFC बैंक से लोन पर होनी दर्शाई गई है । वाहन मालिक द्वारा अपने शपथ पत्र में वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाई जिस पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है । जो वाहन मालिक ने अपनी गाडी की किमत बारे झुठा शपथ पत्र पेश किया है । वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरवाकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 30,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,30,000 रूपये भरकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पँहुचाना पाया गया है ।

(2) वाहन नं0 HR-66B-2429 के मालिक संदीप यादव कानट्रैक्टर पुत्र सत्यवान यादव वासी बोचडिया तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ के टीपर बाडी ट्रक के सम्बन्ध में RTA नारनौल से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 38,27,900 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात एम0जी0 मोटर्स की टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 22,12,034

रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय नारनौल से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 38,27,900 रूपये व वाहन की RC में तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में HDFC बैंक से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 20,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,20,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(3) वाहन नं0 HR-66B-4189 के मालिक लखपत पुत्र राम अवतार वासी खातोली अहीर जिला महेन्द्रगढ के ट्रक के सम्बन्ध में RTA नारनौल से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 34,40,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 21,04,737 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय नारनौल से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 34,40,000 रूपये व वाहन की RC में तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में इंडसइनड बैंक से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 25,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,25,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है

(4) वाहन नं0 HR-63D-2514 के मालिक जितेन्द्र पुत्र जोर सिंह वासी जोंधी जिला झज्झर के ट्रक के सम्बन्ध में RTA झज्जर से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 39,39,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 24,81,000 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय झज्झर से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 39,39,000 रूपये व वाहन की RC में टाटा मोटर्स फाईनेंस लि0 तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में HDFC बैंक से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना व 35,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,35,000 रूपये भरकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(5) वाहन नं0 HR-63D-4169 के मालिक सुनील कुमार पुत्र सतबीर वासी जहांगीरपुर जिला झज्जर के ट्रक के सम्बन्ध में RTA झज्जर से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 26,20,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 23,70,923 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय झज्जर से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 26,20,000 रूपये व वाहन की RC में तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में HDFC बैंक से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके

खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूति राशि जुर्माना व 35,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,35,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(6) वाहन नं0 HR-39D-0965 के मालिक कपुर सिंह पुत्र रामेशवर दास वासी जगान जिला व तहसील हिसार के ट्रक के सम्बन्ध में RTA हिसार से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 27,40,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म में शोरूम कीमत 17,50,000 रूपये तथा साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 20,47,380 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय हिसार से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 27,40,000 रूपये व वाहन की RC में तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में HDFC बैंक से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 35,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,35,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(7) वाहन नं0 HR-69C-4111 के मालिक जितेन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह वासी 1643 शिव कालोनी वार्ड नं0 9 जिला सोनीपत के ट्रक के सम्बन्ध में RTA सोनीपत से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 29,20,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 22,91,500 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय सोनीपत से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 29,20,000 रूपये व वाहन की RC में वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में Orix leasing Fin.ser.india Ltd. से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना व 35,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,35,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(8) वाहन नं0 HR-69C-0163 के मालिक अमित कादयान पुत्र रणबीर सिंह मकान नम्बर 527 नजदीक पोस्ट आफिस वार्ड नम्बर 13 पानीपत के ट्रक के सम्बन्ध में RTA यमुनानगर से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 28,10,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय केवल चालान भरने की रसीद लेकर वाहन को छोडना पाया गया है । वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 30,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,30,000 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पंहुचाना पाया गया है ।

(9) वाहन नं0 RJ-32GB-5383 के मालिक रामफल पुत्र रामनिवास वासी म0नं0 77 गांव गोलवा निजामपुर जिला महेन्द्रगढ के ट्रक के सम्बन्ध में RTA कोटपूतली राज0 से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर

व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 26,56,046 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म के साथ लगाए गये कागजात टैक्स इन्वाईस में वाहन की शोरूम कीमत 24,95,000 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय कोटपूतली राज0 से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 26,56,046 रूपये व वाहन मालिक द्वारा दिये गये टैक्स इन्वाईस में चोलामंडलम इन्वैस्टमैंट एंड फाईनैंस क0 लि0 से लोन पर होनी दर्शाई हुई है। वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से उनका प्रयोग करके वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना व 27,500 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,27,500 रूपये भरवाकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है।

(10) वाहन नं0 RJ-18GB-5629 के मालिक राजवीर यादव पुत्र घीसाराम वार्ड नं0 8 ढाणी अहिरान दादा फतेहपुर तहसील खेतडी जिला झुन्झनू राज0 के ट्रक के सम्बन्ध में RTA झुन्झनू से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 37,60,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय खनन विभाग द्वारा जो रिलीज फार्म भरा गया था उसमें व रिलीज फार्म में वाहन की शोरूम कीमत 22,17,000 रूपये दर्शाई हुई है । RTA कार्यालय झुन्झनू से प्राप्त फार्म नं0 24 में वाहन की कीमत 37,60,000 रूपये व MM Financial Services Ltd. से लोन पर होनी दर्शाई हुई है । वाहन मालिक द्वारा अपने शपथ पत्र में वाहन की कीमत 25,00,000 रूपये से कम दिखाने पर NGT के आदेशानुसार 2,00,000 रूपये का जुर्माना बनता है, वाहन मालिक ने जुर्माना भरते समय झुठा शपथ पत्र तैयार करके खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधडी से वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 2,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना व 35,000 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 2,35,000 रूपये भरकर पद का दुरूपयोग करके सरकार को 2,00,000 रूपये की वितिय हानि पहुचाना पाया गया है ।

(11) वाहन नं0 RJ-02GB-1972 के मालिक विरेन्द्र सिंह पुत्र जगपाल सिंह वासी गांव मानका तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के ट्रक के सम्बन्ध में RTA अलवर से प्राप्त रिपोर्ट फार्म नं0 24 (मोटर व्हीकल रजिस्टर) के अनुसार कीमत 28,10,000 रूपये दर्शाई गई है जिस पर NGT के आदेशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 रूपये का जुर्माना किया जाना चाहिये था लेकिन वाहन मालिक ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जुर्माना भरते समय वाहन मालिक द्वारा फर्जी वाहन विवरणी में शोरूम कीमत 24,82,000 रूपये दिखाकर वाहन का असल जुर्माना 4,00,000 रूपये न भरकर 3,00,000 रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना व 27,500 रूपये अवैध मिनरल कुल जुर्माना 3,27,500 रूपये भरवाये है । श्री अनिल कुमार, खनन अधिकारी, नारनौल द्वारा काम की अधिकता व सहयोगी कर्मचारियों द्वारा वाहन के कागजात ठीक से चैक न करने की वजह से भूलवंश उक्त एक वाहन को 1,00,000/-रु का कम जुर्माना भुगतान करना पाया गया है। जबकि उपरोक्त अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में अवैध खनन में संलिप्त 42 वाहन मालिको के विरूद्ध थाना शहर नारनौल में व 25 वाहन मालिको के विरूद्ध जिला महेन्द्रगढ के अलग-2 थानो में अभियोग अंकित करवाये है। श्री अनिल कुमार, खनन अधिकारी, नारनौल द्वारा अपने पद व कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करते हुए उक्त अभियोग अंकित करवाये है, जो श्री अनिल कुमार, खनन अधिकारी द्वारा वाहन नं0 RJ-02GB-1972 का कम जुर्माना का भुगतान करवाना नियतन प्रतीत नही होता ।

वाहन नं0 HR-66A-7468 के मालिक नत्थुराम पुत्र हेमराज निवासी बसीरपुर जिला महेन्द्रगढ, वाहन नं0 HR-66B-2429 के मालिक संदीप यादव ठेकेदार पुत्र सत्यवान यादव वासी बोचडिया तहसील अटेली जिला महेन्द्रगढ, वाहन नं0 HR-66B-4189 के मालिक लखपत पुत्र राम अवतार वासी खातोली अहीर जिला महेन्द्रगढ, वाहन नं0 HR-63D-2514 के मालिक जितेन्द्र पुत्र जोर सिंह वासी जोंधी जिला झज्जर, वाहन नं0 HR-63D-4169 के मालिक सुनील कुमार पुत्र सतबीर वासी जहांगीरपुर जिला झज्जर, वाहन नं0 HR-39D-0965 के मालिक कपुर सिंह पुत्र रामेशवर दास वासी जगान जिला व तहसील हिसार, वाहन नं0 HR-69C-4111 के मालिक जितेन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह वासी 1643 शिव कालोनी वार्ड नं0 9 जिला सोनीपत, वाहन नं0 HR-69C-0163 के मालिक अमित कादयान पुत्र रणबीर सिंह मकान नम्बर 527 नजदीक पोस्ट ऑफिस वार्ड नम्बर 13 पानीपत, वाहन

नं0 RJ-32GB-5383 के मालिक रामफल पुत्र रामनिवास वासी म0नं0 77 गांव गोलवा निजामपुर जिला महेन्द्रगढ, वाहन नं0 RJ-18GB-5629 के मालिक राजवीर यादव पुत्र घीसाराम वार्ड नं0 8 ढाणी अहिरान दादा फतेहपुर तहसील खेतडी जिला झुन्झनू (राज0) तथा वाहन नं0 RJ-02GB-1972 के मालिक विरेन्द्र सिंह पुत्र जगपाल सिंह वासी गांव मानका तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) ने अपने-2 वाहनों का जुर्माना भरने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार करके धोखाधडी से उनका उपयोग करके श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन खनन अधिकारी नारनौल पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी खोडमा जिला महेन्द्रगढ हाल तैनात मुख्यालय खान एंव भूविज्ञान विभाग सै0 22 पंचकुला, श्री संजय सिम्बरवाल, तत्कालीन सहायक खनन अभियंता नारनौल पुत्र श्री जयकरण निवासी ई 6/19 ग्राउण्ड फलोर डी0एल0एफ0 वैली पिन्जोर जिला पंचकुला हाल तैनात खनन अभियंता मुख्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग सैक्टर 22 पंचकुला, नरेन्द्र कुमार तत्कालीन लिपिक पुत्र परशुराम निवासी गांव व डाकखाना मांदी जिला महेन्द्रगढ हाल तैनात लिपिक खान एवं भूविज्ञान विभाग रोहतक, चन्द्र शेखर तत्कालीन लिपिक पुत्र स्व0 श्री हीरालाल निवासी गांव व डाकखाना हसनपुर तहसील होडल जिला पलवल हाल तैनात अकाउटेन्ट खान एवं भूविज्ञान विभाग फरीदाबाद, ममता खनन रक्षक पुत्री श्री प्रताप सिंह वासी मोहल्ला नलापुर नारनौल हाल तैनात खनन रक्षक, खनन विभाग नारनौल तथा अजीत कुमार डाटा इन्टरी आपरेटर ने मिलीभगत करके उपरोक्त वाहनों के मालिकों द्वारा जमा करवाये गये फर्जी कागजात को सम्बन्धित RTA से तस्दीक न करके उन द्वारा दिये गये कागजात के आधार पर राश्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जुर्माना न करके अपने पद का दुरूपयोग करके वाहन मालिकों से कम जुर्माना भरवाकर सरकार को लगभग 21,00,000 रूपये की वित्तिय हानि पहुंचा कर अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 तथा पी0सी0 एक्ट का किया है। उपरोक्त सभी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 तथा पी0सी0 एक्ट के अन्र्तगत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी अभियोग में शामिल अनुसंधान करके नियमानुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया था। जॉच की अन्तिम रिपोर्ट पर श्रीमान आयुक्त गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम से उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 17 ए भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम के तहत अनुमति लेने के लिए भेजी गई थी । श्रीमान आयुक्त गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के कार्यालय पृष्ठ क्रमांक जी0ए0/2024/733-35 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार उपरोक्त आरोपियो के खिलाफ धारा 17ए भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1988 के अनुसार अभियोंग अकिंत करके अनुसंधान करने की अनुमति प्राप्त हुई है । अतः उपरोक्त आरोपियो के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अन्र्तगत अभियोंग अकिंत करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन के लिए पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के कार्यालय पत्र क्रमांक 1842/ए0सी0बी/गुरूग्राम दिनांक 04.04.2024 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला भेजी गई । मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 8670/आई-2/ए0सी0बी दिनांक 08.04.2024 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपियान के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 तथा 13(1) पी0सी0 एक्ट के अन्र्तगत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार करके मु0सि0 मंजित न0 598/दादरी के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम भेजी जा रही है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जाए । अभियोग की फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक जयपाल सिह के पास भिजवाई जावे । SD ईशवर सिह निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचर निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, नारनौल । दिनांक – 16.04.2024 समय – 6.00 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जा रही है । और एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल को भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले मु0 सि0 मंजित न0 598/दादरी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 जयपाल सिह के पास भिजवाई जा रही है ।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** Jaipal (I (Inspector))/94 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* **संलग्नक):**

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1981				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
6	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
7	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
8	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
9	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
10	Male	01/01/1981				**Is pox pitted:** Yes
11	Male	01/01/1978				**Is pox pitted:** Yes
12	Male	01/01/1971				**Is pox pitted:** Yes
13	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
14	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
15	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
16	Female	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
17	Male	01/01/1985				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)